न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 204/2017 (2017/00244)

वादीगण

1. मोहनी देवी पत्नी परमाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दूलाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा।
2. रूपाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा। (फौत दत्तक पुत्र)
   मोहनराम दत्तक पुत्र रूपाराम जाति जाट जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
3. नन्दू देवी पत्नी सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
4. परमाराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
5. गोपालराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
6. भोलूराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
7. भागूराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
8. शारदा देवी पुत्री सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
9. सोहनराम पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
10. मोहनराम पुत्र डुंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
11. अमराराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
12. मगनाराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
13. चम्पालाल रांका पुत्र पनाराम जाति स्वामी निवासी कुरड़ियों की ढाणी, गण्डावरा
14. मूली देवी पत्नी भारमल जाति जाट निवासी कुरड़ियों की ढाणी, गण्डावरा
15. तुलछीराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
16. चैनाराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
17. दूलाराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
18. शिवदानराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
19. छोटूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
20. चैनाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
21. भंवरालाल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
22. सुगनाराम पुत्र पूसाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
23. परमाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
24. राजस्थान सरकार जरीए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

वाद बाबत इस्तकरार हक व भूमिधारी धारा 88,53 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता **वादी की ओर से**

श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 20 ता 23 की ओर से

श्री जगदीश प्रसाद नेहरा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 11,12 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं0 26 रकबा 3.33 है0, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 29 रकबा 3.55 है0 कुल रकबा 6.90 है0 स्थित चली आ रही है।

ग्राम मण्डावरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 3.55 है0 में से तत्कालीन सहखातेदार मोहनराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा ने अपने हक–हिस्से में से खसरा नं0 29 में से जरिए विक्रय दिनांक 04.05.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 275 पृष्ठ सं0 58 क्रम सं0 2015001593 के द्वारा 0.0809 है0 बिल एवज रूपये 1,00,000/– अक्षरे रूपये एक लाख रोकड़ी देकर व दिनांक 22.04.2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 300 पृष्ठ सं0 151 क्रम सं0 2016001548 के द्वारा 0.1618 है0 बिल एवज रूपये 40,000/– अक्षरे रूपये चालीस हजार रोकडी देकर व दिनांक 29.08.2017 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 327 पृष्ठ सं0 186 क्रम सं0 201703471102507 के द्वारा 0.12 है0 भूमि बिल एवज रूपये 180,000/– अक्षरे रूपये एक लाख अस्सी हजार रोकड़ी देकर मुझ वादीया से तीन अलग–अलग रजिस्ट्री के जरिए 0.809 + 0.1618 +0.12 है0 यानि कुल 0.3627 है0 भूमि को खरीद किया तब से काबिज खातेदार होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है।

उपयुक्त भूमि में से खसरा नं0 29 रकबा 3.55 है0 के दक्षिणी हिस्से में से पश्चिमी तरफ से उत्तर से दक्षिण लम्बा कोहने में 0.3627 है0 भूमि मुझ वादीया की जरिए विक्रय पत्र खरीद शुदा कब्जा शुदा भूमि आई हुई है जिसका मैं उपयोग–उपभोग करती आ रही हूँ एवं अलग सींव मांठ कायम कर रखी है।

उपर्युक्त भूमि में वादीया का 0.3627 है0 भूमि अलग बंटवारा किया हुआ है। उसी अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सुविधानुसार मौंके पर भूविभाजन कर रखा है। इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है।

उपर्युक्त भूमि खसरा नं0 29 रकबा 3.55 है0 सम्पूर्ण के दक्षिणी हिस्सा में से उत्तर से दक्षिण तरफ पश्चिमी कूंट में वादीया की 0.3627 है0 भूमि की खातेदारी की घोषणा कराकर बाद नाप–चौक करके भू–विभाजन कराकर सेपरेट होल्डिंग कायम कराना चाहते है जिसकी वह अधिकारी है इसलिए यह खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर बंटवारा का वाद लाना आवश्यक हुआ है। बिनाय अभी दिनांक 30.08.2017 को पटवारी हल्का से नकल खतौनी लेकर मेरे हक–हिस्से की भूमि की तस्दीक करने बाबत कहा तो उन्होंने खातेदारी में नाम दर्ज नहीं होने का हवाला देकर ऐसा न्यायालय के आदेश से ही होना बताया।

वादीया की इस्तदुआ निम्न प्रकार से है कि ग्राम मण्डावरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 29 रकबा 3.55 [illegible] राम के हिस्से में से 0.3627 है0 भूमि की वादीया काबिज खातेदार कृषक घोषित [illegible] ने की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

ग्राम मण्डावरा के खसरा नं0 29 रकबा 3.55 [illegible] से उत्तरी–पश्चिमी कूंट की 0.3627 है0 भूमि वादीया की काबिज [illegible] कर सेपरेट होल्डिंग कायम कर नवशा ट्रेस में तरमीम किया जाने का आदेश तहसीलदार [illegible] चामनसिटी को प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:51 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादीया दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 11, 12 व 13 एवं 20 ता 23 का जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश, शामिल मिसल है। प्रतिवादी सं0 1 ता 10, 14 ता 19, 24 गैर हाजीर होने पर इकतरफा की हुई है। वकुलाय ने मौकानुसार प्राथमिक डिक्री पर सहमत होकर बहस सुनाई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वकील वादी की बहस का मनन एवं संलग्न खतौनी ग्राम कुकनवाली की सम्वत 2069–72 का अवलोकन करने पर वादीया एवं प्रतिवादी 11, 12 व 13 20 से 23 रेकर्डड खातेदार है तथा अपनी खातेदारी अलग कराने का कानूनन हक है एवं प्रतिवादीगण द्वारा कोई उज्र ऐतराज शामिल मिसल नहीं है इसलिये उक्त विवेचन से न्यायालय का मत है कि प्रकरण प्राथमिक काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है।

आदेश

ग्राम मण्डावरा के खसरा नं0 29 रकबा 3.55 है0 में से उत्तरी–पश्चिमी कूंट की 0.3627 है0 भूमि का वादीया को एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को खसरा नं0 26 रकबा 3.33 है0 में से 0.17 है0 पश्चिम कुट का एवं प्रतिवादी सं0 13 को 8389.3 वर्ग फुट दक्षिणी तरफ का एवं प्रतिवादी सं0 20 को 8389.3 वर्ग फुट का व प्रतिवादी सं0 21 को 0.16 है0 का व प्रतिवादी सं0 22 को 0.08 है0 भूमि दक्षिणी तरफ का व प्रतिवादी सं0 23 को 8389.3 वर्ग फुट दक्षिणी तरफ का खातेदार काश्तकार घोषित कर तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि रूबरू पक्षकारान के मौका देखकर मौका रिपोर्ट, बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 30/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:51 IST
Reason: SelfAttested

फर्द-मौका बंटवारा स्कीम

आज दिनांक 2-7-19 को मौजूदगी, तहसीलदार सा. कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/रीडर/2018/234 दि. 7-5-18 के मुताबिक, उपखण्ड अधिकारी महो. कुचामनसिटी के अनुवाद मोहनीदेवी बनाम दूलाराम मु.नं. 204/17 में प्राथमिक डिक्री की पालना में ग्राम मंडावरा के ख.नं. 26,28,29 के मौके पर समस्त पक्षकारान बंटवारा स्कीम हेतु मौके पर पहुंचे। निम्न नजरी नक्शानुसार बंटवारा स्कीम तैयार की गई।

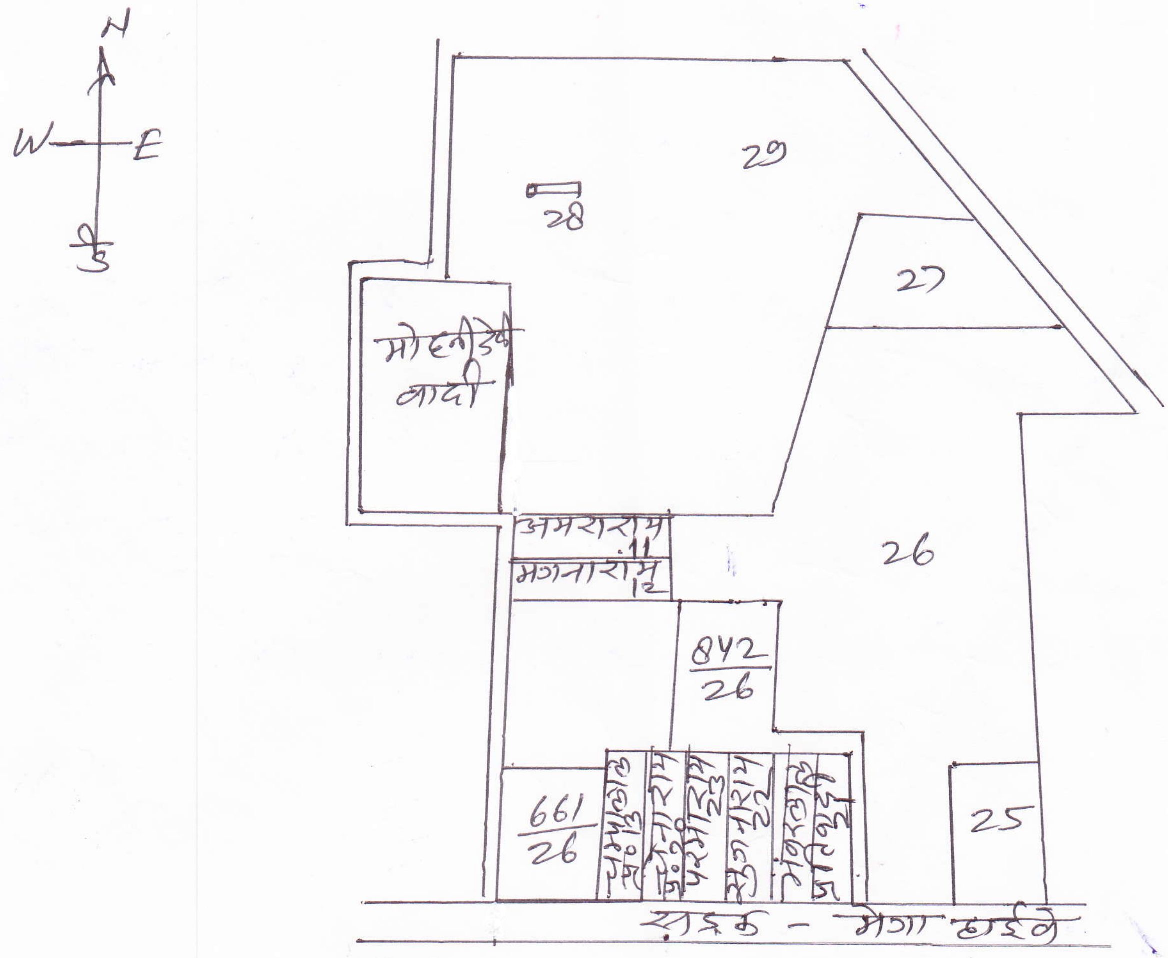

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा (हे.)	किस्म
1.	मोहनीदेवी पत्नि परमाराम जाति जाट सा. देह जोत.	29	0.3627	मोहनराम पुत्र डूंगा के हिस्से में से
2.	अमराराम पुत्र बनाराम जाति [illegible] " "	26	0.0850	प्रति. खं. 11
3.	मगनाराम पुत्र [illegible]	26	0.0850	" " 12
4.	चम्पालाल पुत्र प[illegible] रा. ढाणी चांदु "	26	0.0779	" " 13
5.	चेनाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट सा. देह "	26	0.0779	" " 20
6.	कंवरलाल पुत्र प्रभुराम जाति जाट सा. देह "	26	0.1600	" " 21
7.	सुगनाराम पुत्र पूसाराम जाति जाट सा. देह "	26	0.0800	" " 22
8.	परमाराम पुत्र नानूराम जाति जाट सा. हरिराजपुरा "	26	0.0779	" " 23

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:51 IST
Reason: SelfAttested

Mukesh Choudhary

उपर्युक्तानुसार नजरी नक्शे व विवरणानुसार बंटवारा स्कीम मौके पर तैयार की गई शेष भूमि व खातेदारान बदस्तूर जमाबंदी रहेंगे। फर्द बंटवारा स्कीम मौके पर

फर्द मौका

आज दिनांक 21-11-19 को श्रीमान् तहसीलदार साहब कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक/रू.क./1585 दिनांक 15.10.19 व श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय कुचामन सिटी के मामला मोहनीदेवी बनाम दुल्लाराम मु. नं. 204/17 में प्राथमिक डिक्री की पालना में ग्राम मेडावरा के खसरा नं. 26 के मौके पर कब्जा पश्चात बंटवारा स्कीम हेतु मौके पर पहुँचे। निम्न नजरी नक्शेनुसार बंटवारा स्कीम तैयार की गयी।

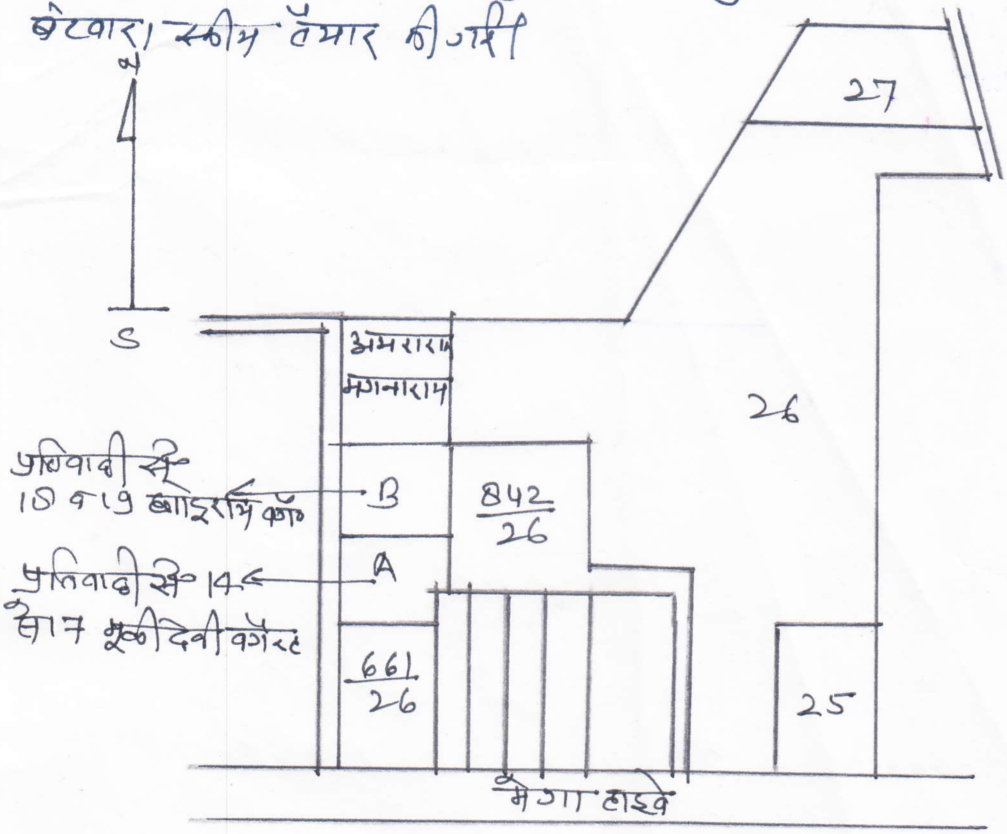

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा
1.	मूलीदेवी पत्नी भारमल, तुलसीराम-चेनाराम दुल्लाराम पि. भारमल	26	0.0798 है. अर्थात 0.0800 है.
2.	छोटूराम शिवदानराम पि. ... सूराराम	26	0.0798 है. अर्थात 0.0800 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्तानुसार नजरी नक्शा व विवरण अनुसार बंटवारा स्कीम मौके पर तैयार की गई। शेष भूमि व खातेदारान बदस्तूर समान रहेगी एवं पूर्व में दी गई डिक्री पालना (बंटवारा स्कीम) के अनुसार रहेगी। मौका फर्द मौके पर पढ़कर सुनाई जाकर हस्ताक्षर करवाये गए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 204/2017 (RCMS No.**2017/00244**)

वादीगण

1. मोहनी देवी पत्नी परमाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दूलाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा।
2. रूपाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा। (फौत दत्तक पुत्र) मोहनराम दत्तक पुत्र रूपाराम जाति जाट जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
3. नन्दू देवी पत्नी सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
4. परमाराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
5. गोपालराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
6. भोलूराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
7. भागूराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
8. शारदा देवी पुत्री सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
9. सोहनराम पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
10. मोहनराम पुत्र डुंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
11. अमराराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
12. मगनाराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
13. चम्पालाल रांका पुत्र पनाराम जाति स्वामी निवासी कुरड़ियों की ढाणी, गण्डावरा
14. मूली देवी पत्नी भारमल जाति जाट निवासी कुरड़ियों की ढाणी, गण्डावरा
15. तुलछीराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
16. चैनाराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
17. दूलाराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
18. शिवदानराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
19. छोटूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
20. चैनाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
21. भंवरालाल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
22. सुगनाराम पुत्र पूसाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
23. परमाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
24. राजस्थान सरकार जरीए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:51 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत इस्तकरार हक व भू विभाजन अ० 88 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से

श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 20 ता 23 की ओर से

श्री जगदीश प्रसाद नेहरा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 11,12,13 की ओर से

श्री हरदेवसिंह चौधरी अधिवक्ता 14 से 19

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निर्णय

दिनॉक 24.01.2020

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 34.04.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2019/1149 दिंनाक 08.07..2019 के द्वारा भिजवाई गई, बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। इसी दौरान प्रतिवादी सं. 14 से 19 द्वारा दिनॉक 18.07.2019 को एक–पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने का प्रार्थना–पत्र एवं इकबाली जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में उनके हिस्से की भूमि का बंटवारा किये जाने का निवेदन किया जिस पर वाद अधिवक्ता किसी प्रकार का एतराज नही किया तथा इस न्यायालय के आदेश दिनॉक 30.09.2019 को तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रतिवादी सं. 14 से 19 के हिस्से की बंटवारा स्कीम ओर चाही गई, तहसीलदार कुचामनसिटी ने अपने पत्रांक/भू.अ./2184 दिनॉक 27.11.2019 द्वारा उपरोक्त प्रतिवादी सं. 14 से 19 के हिस्से को दर्शाते हुए बंटवारा स्कीम प्रस्तुत की। दोनो ही बंटवारा स्कीम पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस सुनी गई, जिस पर मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीमो का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद डिक्री कर घोषणा कि जाती है कि ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 29 रकबा 3.37 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 26 रकबा 3.1894 हैक्टर में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:51 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	नाम खातेदार	[illegible]	हिस्सा	वि.वि.
1	मोहनीदेवी पत्नि परमाराम जाट	[illegible]	0.3627 है.	मोहनराम पुत्र डूंगाराम के हिस्से मे से
2	अमराराम पुत्र बनाराम जाट	26	0.0850 है.	प्रति. सं. 11
3	मगनाराम पुत्र बनाराम जाट	26	0.0850 है.	प्रति. सं. 12

उपखण्ड अधिकारी
सिटी (नागौर)

4	चम्पालाल पुत्र पनालाल स्वामी	26	0.0779 है.	प्रति. सं. 13
5	चेनाराम पुत्र चिमनाराम जाट	26	0.0779 है.	प्रति. सं. 20
6	भंवरलाल पुत्र प्रभूराम जाट	26	0.1600 है.	प्रति. सं. 21
7	सुगनाराम पुत्र पूसाराम जाट	26	0.0800 है.	प्रति. सं. 22
8	परमाराम पुत्र नानूराम जाट	26	0.0779 है.	प्रति. सं. 23
9	मूलीदेवी पत्नि भरमल, तुलसीराम चेनाराम दुलाराम पुत्र भारमल जाट	26	0.0798 है.	प्रति. सं. 14 से 17
10	छोटूराम शिवदानराम पि. भूराराम जाट	26	0.0798 है.	प्रति. सं. 18 से 19

शेष खाता बदस्तूर रहेगा, बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। बंटवारा स्कीम में अंकित हिस्से एवं काबिज स्थिति अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है, अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 24.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत: उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 204/2017 **(RCMS No.2017/00244)**

वादीगण

1. मोहनी देवी पत्नी परमाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दूलाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा।
2. रूपाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा। (फौत दत्तक पुत्र)
   मोहनराम दत्तक पुत्र रूपाराम जाति जाट जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
3. नन्दू देवी पत्नी सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
4. परमाराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
5. गोपालराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
6. भोलूराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
7. भागूराम पुत्र सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
8. शारदा देवी पुत्री सूजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
9. सोहनराम पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
10. मोहनराम पुत्र डुंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
11. अमराराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
12. मगनाराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
13. चम्पालाल रांका पुत्र पनाराम जाति स्वामी निवासी कुरड़ियों की ढाणी, गण्डावरा
14. मूली देवी पत्नी भारमल जाति जाट निवासी कुरड़ियों की ढाणी, गण्डावरा
15. तुलछीराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
16. चैनाराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
17. दूलाराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
18. शिवदानराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
19. छोटूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
20. चैनाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
21. भंवरालाल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
22. सुगनाराम पुत्र पूसाराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
23. परमाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा
24. राजस्थान सरकार जरीए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

वाद बाबत इस्तकरार हक व भू–विभाजन अ.धा. 88,53 राज. का. अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर, श्र ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद नेहरा एवं श्री हरदेवसिंह चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह [illegible] **वाद डिक्री कर घोषणा कि जाती है कि ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 29 रकबा 3.37 हैक्टर [illegible] नम्बर 26 रकबा 3.1894 हैक्टर में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–**

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:51 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	नाम खातेदार	[illegible]	हिस्सा	वि.वि.
1	*मोहनीदेवी पत्नि परमाराम जाट*	*29*	*0.3627 है.*	*मोहनराम पुत्र डूंगाराम के हिस्से मे से*
2	*अमराराम पुत्र बनाराम जाट*	*26*	*0.0850 है.*	*प्रति. सं. 11*
3	*मगनाराम पुत्र बनाराम जाट*	*26*	*0.0850 है.*	*प्रति. सं. 12*

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

4	चम्पालाल पुत्र पनालाल स्वामी	26	0.0779 है.	प्रति. सं. 13
5	चेनाराम पुत्र चिमनाराम जाट	26	0.0779 है.	प्रति. सं. 20
6	भंवरलाल पुत्र प्रभूराम जाट	26	0.1600 है.	प्रति. सं. 21
7	सुगनाराम पुत्र पूसाराम जाट	26	0.0800 है.	प्रति. सं. 22
8	परमाराम पुत्र नानूराम जाट	26	0.0779 है.	प्रति. सं. 23
9	मूलीदेवी पत्नि भरमल, तुलसीराम चेनाराम दुलाराम पुत्र भारमल जाट	26	0.0798 है.	प्रति. सं. 14 से 17
10	छोटूराम शिवदानराम पि. भूराराम जाट	26	0.0798 है.	प्रति. सं. 18 से 19

शेष खाता बदस्तूर रहेगा, बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। बंटवारा स्कीम में अंकित हिस्से एवं काबिज स्थिति अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है, अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक २५ माह 1 सन् २०२० को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:51 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.01.31 12:01:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: